MPSSDEGB
कौशल से रोजगार, समृद्धि अपार

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास
एवं रोजगार निर्माण बोर्ड भोपाल
(तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत पंजीकृत समिति)

Madhya Pradesh State Skill Development and Employment Generation Board (MPSSDEGB)
Regd. Society under Deptt. of Technical Education & Skill Development, GoMP

//आदेश//

भोपाल, दिनांक: 03.05.2018 05-05-18

क्र. MPSSDEGB/PMKVY/750/ 1964 /MPSSDEGB द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट क्रमांक 1140 दिनांक 16.03.2018 द्वारा **PMKVY-CSSM** अंतर्गत सूचीबद्ध (Empanellment) किए जाने हेतु म.प्र. में स्थित ऐसे पात्र प्रशिक्षण केन्द्रों (TC) से जॉब रोल अनुसार आवेदन आमंत्रित किए थे जो कि 27.03.2018 तक प्रशिक्षणार्थियों का इनरोलमेंट पूर्ण कर प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु सक्षम हों। इसके उपरांत आदेश क्रमांक 1694 दिनांक 10.04.2018 के द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने का समय बढ़ाकर 24.04.2018 तक किया गया था।

SDMS Portal पर ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त अंतिम तिथि के पश्चात भी कुछ प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा बैचों का नामांकन कर स्वीकृति के लिए भेजा गया है एवं कुछ प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा इस संबंध में अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए भी आवेदन दिया गया है। 24.04.2018 के पश्चात नामांकन प्रक्रिया SDMS Portal पर प्रस्तुत करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए अंतिम तिथि दिनांक 15.05.2018 होगी तथा इसके उपरांत प्राप्त बैच निरस्त कर दिए जायेंगे। यद्यपि जीरा पोर्टल पर वर्तमान में लंबित प्रकरणों का निपटान होने पर उनकी प्रक्रिया नियमानुसार की जावेगी।

पी.एम.के.वी.वाई. के नियमानुसार प्रत्येक प्रशिक्षण प्रदाता को प्रशिक्षण बैच आरंभ करने के पूर्व NSDC द्वारा मैप किए गए प्रकाशक से पाठ्य सामग्री तथा संबंधित वेण्डर से ट्रेनिंग किट, गणवेश इत्यादि क्रय कर प्रशिक्षणार्थियों में वितरित करना आवश्यक है। किन्तु यह देखा गया है कि कुछ प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को पुस्तकें तथा किट उपलब्ध नही करवायी गई है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि बैच आरंभ कर चुके सभी प्रशिक्षण प्रदाता दिनांक 15 मई 2018 के पूर्व तथा शेष प्रशिक्षण प्रदाता प्रशिक्षण आरंभ करने के साथ पाठ्य सामग्री तथा संबंधित वेण्डर से ट्रेनिंग किट, गणवेश इत्यादि क्रय कर प्रशिक्षणार्थियों में वितरित करें। प्रशिक्षण प्रदाता इस आशय के बिलों की प्रति एवं प्रशिक्षणार्थियों की प्राप्ति रसीद (जो कि वर्क आर्डर जारी होने के बाद की तिथि तथा बैच प्रारंभ दिनांक से 07 दिवस पश्चात् तक हो सकती है) इस कार्यालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगें। 30 प्रतिशत राशि की प्रथम किश्त का भुगतान उक्त सभी सामग्री के क्रय तथा वितरण प्रमाण इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के बाद ही संभव होगा। अतः 30 प्रतिशत राशि की इनवाईस तदानुसार प्रस्तुत करें। प्रकाशक के पास पुस्तकें अनुपलब्ध होने के स्थिति में अथवा हिंदी अनुवाद उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रदाता उनके द्वारा तैयार पाठ्य सामग्री प्रशिक्षणार्थियों में वितरित कर प्राप्ति रसीद इस कार्यालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगें। यद्यपि एनएसडीसी द्वारा निर्धारित पाठ्य सामग्री भी प्रशिक्षणार्थियों को देना आवश्यक है।

उक्त आदेश वर्ष 2017–18 में इसके पूर्व जारी किए गए वर्क आर्डर क्रमांक 1134 दिनांक 16.03.2018, 1381 दिनांक 27.03.2018, 1415 तथा 1427 दिनांक 28.03.2018 अंतर्गत आने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं पर भी लागू होंगे। जिन प्रशिक्षण प्रदाताओं को 30 प्रतिशत राशि की प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है वे दिनांक 15.05.2018 के पूर्व उक्त प्रमाण इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(सुखवीर सिंह)IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्र. MPSSDEGB/PMKVY/750/ 1965
भोपाल, दिनांक: 03.05.2018 05-05-18

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार।
2. श्री राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. श्री आर.के.गुप्ता, निदेशक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. श्री मनीष कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनएसडीसी, नई दिल्ली।

(सुखवीर सिंह)IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी